FAX

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं0सं0–पि0व0 / छात्रवृत्ति–35–18 / 2011– 1554

प्रेषक,
सुनील कुमार सिंह,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी।

पटना,दिनांक– 30-8-2011

विषयः– अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति, अनुरक्षण भत्ता एवं अन्य भत्ता संशोधित दर से स्वीकृति करने के संबंध में।

महाशय,
निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक–11014/21/2006-BC-1शिक्षा दिनांक–11.07.2011 द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में दिनांक–01.07.2011 के प्रभाव से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुरक्षण भत्ता को संशोधित किया गया है, जो निम्नवतः है :–

क्र0	ग्रुप	पाठ्यक्रम का नाम	अनुरक्षण भत्ता का दर (रू0 प्रतिमाह)	
			छात्रावासी	दिवाकालीन
1	2	3	4	5
1	A	(i) स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर कोर्स एम0फील, पी0एच0डी0, चिकित्सा (एलोपैथी, भारतीय औषधि एवं अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति), अभियंत्रण, तकनीकी, योजना, आरकिटेक्चर, डिजाईन, फैशन टेक्नोलॉजी, कृषि, पशुपालन एवं संबंधित विज्ञान, प्रबंधन, वित्तीय व्यवसाय, प्रशासनिक प्रबंधन, और कम्प्यूटर साइन्स/एप्लीकेशन में स्नातक एवं स्नातकोत्तर। (ii) व्यवसायिक पायलेट लाईसेंस (हेलीकॉप्टर पायलेट एवं मल्टी इंजन रेटिंग कोर्स) पाठ्यक्रम। (iii) प्रबंधन और चिकित्सा के विभिन्न शाखाओं में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम। (iv) C.A/I.C.W.A/C.S/I.C.F.A इत्यादि। (v) एम0फील, पी0एच0डी0 एवं पोस्ट डॉक्ट्रेक्टोरल प्रोग्राम (D.Litt, D.Sc इत्यादि) (vi) L.L.M	₹750/–	₹350/–
2	B	फार्मेसी (बी0फार्मा), नर्सिंग (बी0 नर्सिंग), एल0एल0बी0, बी0एफ0एस0, अन्य पारामेडिकल शाखा जैसे पुर्नवास, diagnostics, मास कामनिकेशन, होटल मैनेजमेन्ट और कैटरिंग, यात्रा/पर्यटन/अतिथ्य प्रबंधन आंतरिक साज–सज्जा, पोषण और dietetics व्यवसायिक कला वित्तीय सेवाएं, (Banking, Insurance, Taxation etc) जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम अहर्ता कम से कम उच्चतर माध्यमिक (10+2) है, का डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर कोर्स। (ii) वैसे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जो ग्रुप–A में नहीं है। जैसे–एम0ए0/एम0एस0सी0/एम0कॉम/एम0एड0/एम0 फार्मा इत्यादि।	₹510/–	₹335/–
3	C	वैसे सभी पाठ्यक्रम जो ग्रुप–A एवं B में शामिल नही है, जैसे बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0कॉम0 इत्यादि।	₹400/–	₹210/–
4	D	सभी उच्चतर माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम जिनके लिए प्रवेश अहर्ता प्रवेशिकोर्तीण (वर्ग–X) है, जैसे उच्चतर माध्यमिक कोर्स (वर्ग–XI एवं XII–सामान्य और व्यवसायिक पाठ्यक्रम) आई0टी0आई0 पाठ्यक्रम, पोलिटेक्निक में तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स इत्यादि।	₹260/–	₹160/–

2. अन्य भत्ते:–

क्र0	विषय	समूह	प्रतिमाह दर
1.	दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए रीडर चार्ज	ग्रुप A & B	₹175/–
	–	ग्रुप C	₹130/–
	–	ग्रुप D	₹90/–
2.	अध्ययन यात्रा शुल्क		₹900/– प्रति वर्ष
3.	टंकण/मुद्रण शुल्क(शोध पत्र हेतु)		₹1000/– (अधिकतम)
4.	पत्राचार कोर्स हेतु पुस्तक भत्तां		₹900/– प्रतिवर्ष

(2) सी0पी0एल0 कोर्स हेतु छात्रवृत्ति की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी जाती है। अतः इस कोर्स से संबंधित आवेदन पत्र अपने स्तर से पूर्णरूपेण जांच कर अनुशंसा के साथ विभाग को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

(3) भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवंटित राशि की 25% (पचीस प्रतिशत) राशि ग्रुप "डी0" में वर्णित कोर्स हेतु छात्रवृत्ति की स्वीकृति पर व्यय किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति, अनुरक्षण भत्ता एवं अन्य भत्ता स्वीकृत/भुगतान करने की व्यवस्था की जाय। विस्तृत दिशा निर्देश विभागीय बेवसाईट "http://bcebc welfare.bih.nic.in" (सूचना) पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।